

STC

170  
17/11/2014

कमांक 2/64/2013-1एच0बी0-III

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव हिसार मंडल, सभी उपायुक्त/उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य में।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।  
दिनांक, चण्डीगढ़ 13-01-2014

विषय:- प्राईवेट हस्पतालों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने बारे।

1. **Gold Field Hospital and Research Centre Vill. Chhainsa Ballabgarh, Faridabad-121004 Haryana.**
2. **Rockland Hospital, Plot No. 2, Sector-5, IMT, Manesar, Gurgaon.**

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सरकार द्वारा **Gold Field Hospital and Research Centre Vill. Chhainsa Ballabgarh, Faridabad-121004 Haryana** तथा **Rockland Hospital, Plot No. 2, Sector-5, IMT, Manesar, Gurgaon** प्राईवेट हस्पतालों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन हस्पतालों में करवाए गए ईलाज पर आए खर्च की प्रतिपूर्ति पी0जी0आई0 चण्डीगढ़/एमज न्यु दिल्ली के रेट्स के अनुसार की जाएगी। इन हस्पतालों द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन अवश्य किया जाएगा:-

1. **These hospitals will remain empanelled for a period of 2 years at a time which can be renewed further by the Government keeping in view the performance and track record of the hospital. The period of 2 years will be determined from the date of issue of these instructions.**
2. Health Department reserves the right to call for record of treatment of any patient from any empanelled hospital to ensure that no mal-practice takes place.
3. **These hospitals shall provide treatment to the employees in the event of a life threatening emergency without asking for deposition of the cost of treatment in advance. The patient shall pay the dues before discharge from the hospital. The hospital, however, shall verify the identity of the employee or his/her dependent to avoid impersonation.**
4. These hospitals shall maintain a record of the treatment of the patients in the format to be prescribed by the Health Department.
5. These hospitals will have to follow the package rates for procedures, implants, room rents etc.as prescribed by Government from time to time.
6. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

मामले में वित्त विभाग (वित्त विकास-II) द्वारा प्राईवेट हस्पतालों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने सम्बन्धि निर्णय, प्रशासकीय सचिव, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर, लेने बारे सहमति उनके अर्ध सरकारी पत्र कमांक PS/FCF/2012/Nil दिनांक 4-12-2012 के तहत प्रदान कर दी गई है।

भवदीय


*Santosh Kumar*  
संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

पृष्ठांकन कमांक 2/64/2013-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 13-01-2014

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग


सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार

अशा: कमांक 2/64/2013-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 13-01-2014

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा: कमांक PS/FCF/2012/Nil, दिनांक 4-12-2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।


अशा: कमांक 2/64/2013-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 13-01-2014

पृष्ठांकन कमांक 2/64/2013-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 13-01-2014

एक प्रति प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, प्लॉट न0 4 व 5 सेक्टर-33, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है।


  
संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग

पृष्ठांकन कमांक 2/64/2013-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 13-01-2014

एक प्रति महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, सेक्टर -6 पंचकुला को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि संबंधित हिदायतें तथा पूर्व में जारी की गई अन्य सभी हिदायतें स्वास्थ्य विभाग की वेब साईट (<http://haryanahealth.nic.in>) पर डाल दी जायें।

  
संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग


कार्यालय महानिदेशक हरियाणा राज्य परिवहन चण्डीगढ़।

पृ0 कमांक 5411-57 /एसए/ई4

दिनांक: 5-2-2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सभी अधिकारीगण मुख्यालय/सभी बांच ईनचार्ज मुख्यालय
2. सभी महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन
3. उडन दरता अधिकारी आई0एस0बी0टी0 दिल्ली
4. सिनियर मैकनिकल इन्जीनियर, राजकीय केन्द्रीय कर्मशाला चण्डीगढ़
5. उप परिवहन नियन्त्रक, केन्द्रीय कर्मशाला करनाल, हिसार, रोहतक
6. हरियाणा रोडवेज इन्जीनियर कार्पोरेशन गुडगॉवा
7. आदेश

  
कृते महानिदेशक राज्य परिवहन  
हरियाणा, चण्डीगढ़। 5